

(सिर्फ कार्यालय में व्यवहार के लिए)



सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य के वन प्रमंडलों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा

वर्ष 2013 - 2014

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची - 834002

प्राक्कथन

वन लेखा प्रणाली लेखा की सामान्य प्रणाली का एक अभिन्न भाग है । संकलनकर्ता की ओर से इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वन प्रभागों द्वारा चरणबद्ध वर्गीकृत सार तक के संकलित लेखे महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत हो । वन प्रभागों द्वारा भेजे गए संकलित लेखे महालेखाकार कार्यालय में समेकित किए जाते हैं, जिन्हें अंततः अंत में एक बड़े लेखांकन प्रपत्र में एकीकृत किए जाते हैं ।

यह समीक्षा वन विभागों के कार्यों तथा वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान उनके द्वारा रखे गए प्रारंभिक एवं सहायक लेखों की स्थिति के संबंध में जानकारी देती है ।

इस समीक्षा का उद्देश्य कमियों के प्रमुख क्षेत्रों को इस उद्देश्य के साथ उजागर करना है जिससे की कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु सूचक उपलब्ध कराई जा सके । इस समीक्षा के अभिवृद्धि के लिए हम सुझावों/ संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।



(मनोज सहाय)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
झारखंड, राँची ।

विषय सूची

अध्याय- 1	वन विभाग की संगठनात्मक संरचना, समीक्षा का कार्य क्षेत्र ।	1
अध्याय-2	विलम्ब से मासिक लेखा जमा करना ।	2
अध्याय-3	गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण (व्यय का गलत/अशुद्ध वर्गीकरण प्राप्तियों एवं व्यय का गैर समाधान/मिलान न करना) ।	4
अध्याय-4	वन प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष ।	7
अध्याय-5	संस्तुतियाँ/सुझाव ।	8
अनुबंध -	"क"	9
-	"ख"	13
अध्याय-6	केन्द्रीय एवं स्थानीय लेखा अंकेक्षण कार्यालय द्वारा पाई गई अनियमितताएं ।	14

अध्याय - 1

1.1 वन विभाग की संगठनात्मक संरचना

झारखण्ड राज्य के वन विभाग का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा संचालित होता है। वन विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची हैं, जिसकी सहायता निम्न पदाधिकारियों द्वारा होती है।

- एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी सह कार्यपालक निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड राँची।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 10 (दस)
- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, 6 (छः)
- मुख्य वन संरक्षक, 7 (सात)
- वन संरक्षक, 24 (चौबिस)
- उपवन संरक्षक, 4 (चार)
- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रेंज पदाधिकारीगण एवं सहायक पदाधिकारीगण, 59 (उनसठ)

1.2 समीक्षा की आवश्यकता

प्रस्तुत समीक्षा में झारखण्ड के 113 वन प्रभाग/प्रमंडल सम्मिलित हैं जो महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड को मासिक लेखा जमा करते हैं। मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियाँ पाई गई हैं उन्हें क्रमवार इस समीक्षा पुस्तक में दर्शाया गया है एवं अगले अध्यायों में समीक्षा का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय - 2

2.1 विलम्ब से मासिक लेखा जमा करना

2.1.1 लेखा संहिता भाग III में उद्धृत अनुच्छेद 288 के अनुसार वन प्रमंडलों के द्वारा पदाधिकारी प्रति माह संकलित मासिक नगद लेखा, राजस्व एवं व्यय का वर्गीकृत सारांश अनुसूचियाँ एवं सार पत्र अगले माह की 5 तारीख तक महालेखाकार को समर्पित किया जाता है। यद्यपि वर्ष 2013-14 के दौरान मासिक वन लेखा समयावधि के अन्दर भेजने में कुछ सुधार हुआ है परन्तु विगत वर्षों की तुलना में यह पाया गया है कि अभी भी कुछ प्रमंडलीय वन पदाधिकारीगण समयानुसार मासिक लेखा जमा नहीं कर रहे हैं। महालेखाकार को विलम्ब से भेजे गए मासिक लेखाओं का वर्गीकृत सार निम्नलिखित अनुबंध "क" में दर्शाया गया है --

2013-14 में भेजे गए मासिक लेखा

	समयावधि के अन्तर्गत	1-29 दिनों तक का विलम्ब	30 दिनों से ऊपर परन्तु 90 दिनों के अन्तर्गत	91 दिनों के ऊपर विलम्ब	कुल
प्रमंडलों की संख्या	302	952	101	1	1356
प्रतिशत में	22.28	70.20	7.45	0.07	100.00

तुलनात्मक विवरण

विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखाओं का विगत तीन वर्षों का प्रतिशतवार आंकड़ा

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
समयावधि के अन्तर्गत	445(33.41) %	341(25.60) %	348(26.13) %
29 दिनों का विलम्ब	848(63.66) %	925 (69.45) %	923(69.29) %
30 से 90 दिनों का विलम्ब	39(2.93) %	64(4.80) %	61(4.58) %
90 दिनों से अधिक का विलम्ब	0	2(0.15) %	0

2.1.2 प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों द्वारा विलम्ब से मासिक लेखा भेजने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों और झारखण्ड सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को बारंबार दिया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप मासिक लेखा समयावधि के अन्तर्गत भेजने की दिशा में कुछ सुधार अवश्य पाया गया है परन्तु वह संतोषप्रद नहीं है। झारखण्ड सरकार को चाहिए कि वह ऐसा ठोस कदम उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में मासिक लेखा समय पर प्राप्त हो।

2.1.3 विलम्ब से मासिक लेखा भेजने का प्रभाव राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देन में पड़ता है क्योंकि विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखा संबंधित माह में शामिल नहीं किये जाते हैं। विलम्बित लेखा का प्रत्यक्ष प्रभाव महालेखाकार की वार्षिक लेखा समाप्ति पर विनियोजन एवं वित्तीय लेखा की तैयार करने की प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय पर भी पड़ता है। इसके आधार पर ही व्यय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं।

2.1.4 प्रमंडलीय लेखाओं को जमा करने की प्रक्रिया में सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए जिससे कि सरकार को लेन-देन की संपूर्ण रूप रेखा मासिक सिविल लेखाओं के द्वारा प्राप्त हो सके।

अध्याय-3

गलत वर्गीकरण एवं अशुद्ध लेखाकरण

मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान कुछ कमियाँ चिन्हित की गई है जो निर्धारित लेखाविधि के अनुसार नहीं है। चिन्हित की गई कमियाँ निम्नलिखित है -

3.1 आयकर/विक्रयकर की वसूलियाँ

वेतन और ठेकेदारों के बिल की वसूली की गई आयकर एवं बिक्रीकर की राशियों को नकद खाते के प्राप्ति कॉलम के प्राप्ति शीर्ष "8658-112" स्रोतों से वसूली गई कर (आयकर एवं 0040 बिक्रीकर के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् बिल की शुद्ध राशि नकद खाता में व्यय के कॉलम में मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए। इस तरह से जो राशि वसूल की जाती है उसे कोषागार में ही आर फार्म संख्या 7 के द्वारा वर्गीकृत करके शीर्ष 8782-00-103 के अन्तर्गत भेजा जाना चाहिए न कि सीधे तौर पर शीर्ष 0021 - आयकर 0040 बिक्री कर के अन्तर्गत बुक कर दिया जाना चाहिए/जाए।

प्रमंडलीय वन अधिकारियों के द्वारा विधि को शीघ्रताशीघ्र ग्रहण कर लेना चाहिए। तथापि कुछ प्रमंडल इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हैं वे निम्नलिखित हैं -

- 1- वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना मेदनीनगर।

3.2 मासिक नकद लेखा का अशुद्ध वर्गीकरण

प्रमंडलीय वन पदाधिकारीगण संकलित मासिक वन लेखा, राजस्व एवं व्यय का वर्गीकृत सार इस कार्यालय में जमा करते हैं। परंतु देखा गया है कि अधिकतर मामलों में वे सही वर्गीकरण की विधि प्रयोग में नहीं लाते हैं। फलस्वरूप वैसे मासिक वन लेखाओं को आपत्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।

मुख्यतः जो आपत्तियाँ पाई जाती हैं वे निम्नलिखित हैं -

- (I) बजट उपबन्ध में दिए गए उपबन्धों के अनुसार राजस्व एवं व्यय के वर्गीकृत सार (60.P) में शीर्षों का विस्तृत वर्गीकरण नहीं प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि व्यय का मुख्य शीर्ष लघुशीर्ष विस्तृत शीर्ष इत्यादि ।
- (II) कुल जोड़ में त्रुटियाँ ।
- (III) मासिक लेखाओं में जो आर्थिक लेन देन दिखाया जाता है उसमें समर्थन शिड्यूल एवं बाउचर नहीं भेजे जाते हैं ।

अधिकतर मामलों में प्रविटि आदि शेष एवं इति शेष नहीं दर्शाये जाते हैं
ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

- 1- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला
- 2- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खुँटी वन प्रमण्डल, खुँटी

3.3 व्यय का गलत/अशुद्ध वर्गीकरण :

यह देखा गया है कि कुछ वन प्रभागों ने वानिकी और वन्यजीव 2406 " केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना स्कीम/राज्य योजना दर्शाते हुए प्रमुख/मामूली मद में योजना/खर्च/व्यय के सही वर्गीकरण का पालन नहीं किया है । यह वर्गीकरण और उचित मद के खाते में व्यय के बुकिंग में गंभीर समस्या उत्पन्न करता है । अनुबंध " ख " में उन प्रभागों को दर्शाया गया है जिन्होंने व्यय को गलत मदों में बुकिंग किया है ।

3.4 प्राप्तियों एवं व्यय का गैर समाधान/मिलान न करना-

वन विभाग के प्रभागीय अधिकारीगण संकलित मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समर्पित कर रहे हैं । लेकिन कुछ प्रमंडलों के द्वारा महालेखाकार द्वारा बुक किए गये प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाता है ।

नियमित एवं समय पर" प्राप्तियों एवं व्ययों दोनों" आंकड़ों के मिलान को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रमंडलीय अधिकारियों को खातों के त्रैमासिक मिलान के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए । प्रमंडलीय अधिकारियों द्वारा खातों का त्रैमासिक मिलान निम्नलिखित अनुसूचि/सारणी के अनुसार किया जा सकता है ।

लेखा माह	प्रेषण
1- अप्रैल से जून	जुलाई
2- जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर
3- अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी
4- जनवरी से मार्च	अप्रैल

संबंधित प्रमंडलीय अधिकारियों के द्वारा प्रेषण की स्थिति-

त्रैमासिक	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चौथा त्रैमासिक
कुल वन प्रमण्डल	113	113	113	113
प्रेषण	0	49	49	95

लेखा का सत्यापन न करने का प्रभाव- सभी प्रमंडलों द्वारा समय पर ऑकड़ों का मिलान नहीं करने की वजह से झारखण्ड सरकार को प्रमंडलों के प्राप्तियों एवं व्ययों के विधिवत सत्यापित, आकड़ों के संबंध में सूचित नहीं किया जा सकता है ।

3.5 ठेकेदारों व संवितरकों के खाते के मासिक सार का प्रेषण नहीं किया जाना:- लेखा संहिता खण्ड-III के अनुच्छेद 297 के अनुसार संवितरकों के खाते के मासिक सार वन संरक्षक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए, परन्तु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के समाप्ति के पश्चात् भी निम्नलिखित वन प्रभागों का ठेकेदारों व संवितरकों के खाते के मासिक सार महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किए गए हैं -

- 1- वन प्रमण्डल पदाधिकारी वनरोपण प्रमण्डल गिरिडीह
- 2- वन संरक्षक, वनरोपण एवं सा0वा0 अंचल जमशेदपुर
- 3- वन प्रमण्डल वनरोपण प्रमण्डल कोडरमा
- 4- वन प्रमण्डल पदाधिकारी सा0वा0 प्रमण्डल कोडरमा
- 5- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी
- 6- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामु वनरोपण प्रमण्डल पलामू
- 7- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटनेगंज उत्तरी प्रमण्डल डालटनेगंज
- 8- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा0वा0 प्रमण्डल, चाईबासा
- 9- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा
- 10- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंहभूम वन प्रमण्डल, चाईबासा ।

अध्याय- 4

वन प्रेषण शीर्षो के अन्तर्गत अत्यधिक असमायोजित शेष :

लेखा संहिता खण्ड III के अनुच्छेद 2 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियमावली के स्थाई आदेशों (लेखा एवं हकदारी) खण्ड -1 के सन्दर्भ में सभी वन अधिकारियों को चेक के आहरण की मासिक पंजी, भंडारों/राजकोष के लिए विप्रेषण की अनुसूचित और निर्धारित प्रपत्र में विवरण की प्रति महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक माह में भुनाए गए चेकों एवं भंडार / राजकोष में विप्रेषण विधिवत सत्यापित विवरण पर आधारित होनी चाहिए। किन्तु वन प्रमंडलों द्वारा उपरोक्त विवरण मासिक नकदी खाता के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 को असमायोजित शेष संचित हो जाता है। पिछले तीन वर्षों का विवरण नीचे दिया गया है :-

" 8782-103 वन प्रेषण की स्थिति "

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	भुगतान	अंतशेष
करोड़ में राशि				
2011-12	22.82	111.98	108.59	26.21
2012-13	26.21	136.06	138.35	23.92
2013-14	23.92	118.39	118.61	23.70

इस प्रकार का संचय सार्वजनिक धन के अनियमित धोखे से आहरण और गबन को प्रेरित करता है। यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस सुधार नहीं देखा गया है। समेकित राजकोष प्राप्तियों एवं मासिक खातों के साथ चेकों के समेकित राजकोष मुद्दों के लंबित एवं वर्तमान विवरण के प्रतिपादन को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल एवं प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए ताकि बकाए समेकित शेष को स्पष्ट भुगतान करने के लिए इस कार्यालय को सक्षम बनाया जा सके साथ ही सही आहरण एवं चेक तथा राजस्व की जमा राशियों के नकदीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय-5

संस्तुतियाँ/सुझाव

वन लेखांकन की प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्न संस्तुतियाँ/सुझाव की गई है :-

- 1- भविष्य में मासिक लेखा का समय पर प्रस्तुतीकरण विशेषकर मार्च माह के लेखों के समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाने की जरूरत है ।
- 2- खातों में व्यय और प्राप्त आकड़ों के गलत वर्गीकरण एवं अशुद्धियों से बचने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बिल/वाऊचर/चालान आदि में सही वर्गीकरण सुनिश्चित करना ।
- 3- इस कार्यालय की समय-समय (मासिक-त्रैमासिक) पर एवं वार्षिक विभागीय आकड़ों के सन्दर्भ में लेखा-बही में प्रदर्शित होने वाले वास्तविकता के सत्यापन को पुरा करने हेतु नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त उपाय किए जायें ।
- 4- विप्रेषण एवं चेक जारी किए/भुनाए गए विलंबित विवरणों में राजकोष में जो कि काफी समय से लंबित है और जिसके परिणामस्वरूप असमायोजित शेष का प्रपत्रों के अनुसार अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु तात्कालिक उपाय किये जाने चाहिये ।
- 5- केन्द्रीय तथा स्थानीय लेखापरीक्षा/अंकेक्षण के दौरान पाई गई वैसी हीं समान अनियमितताओं के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम शीघ्रताशीघ्र उठाये जाएँ ।
- 6- मासिक लेखाओं के साथ विवरणी 1 एवं विवरणी 2 को प्रस्तुत करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए ।

एनेक्चर- " ए " अनुबंध - क
पारा-2.1

STATEMENT SHOWING DELAY (IN NUMBER OF DAYS) IN RENDITION OF MONTHLY FOREST ACCOUNTS BY THE JHARKHAND FOREST DIVISIONS FOR THE YEAR 2013-14														
Sl. No.	Name of Division/ Circle	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	Total
1	Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, Ranchi.	0	0	0	3	4	0	2	0	1	1	0	17	28
2	Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife & Chief Wild Life Warden, Jharkhand, Ranchi.	1	0	0	0	0	3	1	4	2	0	5	10	26
3	CCF Wild life , Jharkhand, Ranchi	12	5	0	0	0	0	0	6	1	0	0	2	26
4	Conservator of Forests and Regional Director, Palamu Tiger Project , Medininagar	5	2	0	0	1	2	1	21	1	5	2	30	70
5	Dy. Conservator of Forest and Regional Director, Elephant Project, Jamshedpur.	17	8	31	14	12	3	3	5	5	5	15	19	137
6	Additional PCCF, FDA, Jharkhand	44	13	28	0	5	20	0	26	0	5	7	31	179
7	DFO, Buffer Area, Palamu Tiger Project, Medininagar	1	6	7	9	11	0	2	4	4	5	2	34	85
8	DFO, Core Area, Palamu Tiger Project, Medininagar	38	7	0	0	1	3	6	4	4	5	5	33	106
9	D.F.O. Wild life Division, Ranchi	43	12	0	0	0	0	0	8	5	1	5	43	117
10	D.F.O. Wild life Division, Hazaribagh	11	1	0	2	0	2	1	1	1	5	5	43	72
11	P.C.C.F.-cum-Executive Director, Waste Land Dev. Board, Jharkhand, Ranchi	3	6	0	7	0	2	2	4	1	0	1	16	42
12	Chief Conservator of Forests, & Chief Co-ordinator, World Food Programme, Ranchi	0	41	11	2	6	48	17	31	11	2	0	17	186
13	Dy.C.F. Project Co-ordinator Unit, Jharkhand Participatory Forest Management Project, Ranchi.	4	1	3	0	6	3	1	1	8	5	0	13	45
14	D.F.O, WFP Division, Ranchi.	0	1	0	0	0	2	0	0	11	1	0	10	25
15	D.F.O. WFP Division, Chaibasa.(Tasar)	2	16	7	7	1	2	7	14	5	8	5	23	97
16	D.F.O. World Food Programme Division, Dumka (Tasar)	2	16	7	7	1	2	7	14	5	8	5	23	97
17	D.F.O. World Food Programme Division, Medninagar.	9	5	12	7	0	13	6	8	3	5	9	23	100
18	Addl. P.C.C.F. Personnel & Human Resources Development, Jharkhand	17	1	6	2	0	3	2	1	3	0	2	0	37
19	C.C.F., Vigilance, Jharkhand, Ranchi	33	8	0	3	15	3	7	14	5	6	9	31	134
20	Dy.C.F., Training , Ranchi	4	1	0	0	1	0	2	5	11	2	9	44	79
21	Director Forester-cum Forest Guard Training School, Hazaribagh	16	1	10	7	1	0	8	1	8	2	9	37	100
22	Addl. P.C.C.F. Working Plan, Jharkhand, Ranchi.	0	0	3	0	4	0	0	4	2	1	0	1	15
23	C.C.F., Research, Jharkhand, Ranchi	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	6	13

Sl. No.	Name of Division/ Circle	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	Total
24	C.C.F., Training, Jharkhand Ranchi,	32	1	3	1	4	4	3	0	2	0	7	23	80
25	C.F., Social Forestry, Monitoring & Evaluation Circle, Ranchi	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	8
26	C.F. Working Plan Circle, Ranchi	0	0	6	0	0	0	2	1	4	1	0	40	54
27	C.F., Working Plan Circle, Dumka, Deoghar.	94	63	33	2	4	0	0	0	0	0	0	6	202
28	C.F. Working Plan Circle, Chaibasa.	1	0	0	7	5	5	25	7	8	6	15	30	109
29	C.F. Working Plan Circle, Daltonganj	1	0	0	2	0	2	1	0	0	2	2	10	20
30	C.F. Working Plan Circle, Hazaribagh.	1	5	0	0	4	4	1	1	3	1	0	31	51
31	C.C.F., Personnel (Gazetted), Jharkhand, Ranchi	37	8	0	2	5	0	0	0	0	2	0	23	77
32	C.F. & State Silviculturist, Jharkhand, Ranchi	0	1	0	2	5	2	0	0	3	1	1	31	46
33	C.F. Plantation Research & Evaluation Circle, Ranchi	1	1	0	0	4	3	0	4	8	5	5	20	51
34	D.F.O., S.F., Planning, Monitoring & Evaluation Division, Ranchi	3	1	3	2	0	0	2	0	2	1	1	27	42
35	Addl. P.C.C.F., Development, Jharkhand, Ranchi.	10	9	4	3	0	2	0	5	5	6	5	25	74
36	Addl. P.C.C.F., Research & Training, Jharkhand, Ranchi.	1	2	0	1	1	2	8	0	2	1	1	6	25
37	Addl. P.C.C.F., CAMPA, Jharkhand, Ranchi	36	5	7	0	0	0	13	0	0	0	0	0	61
38	C.F., Planning Circle, Ranchi	5	5	4	7	5	5	2	1	5	2	2	32	75
39	D.F.O., Publicity & Extension Division, Ranchi	4	6	0	7	5	3	2	1	0	6	7	42	83
40	Dy. C.F., Planning, Monitoring & Evaluation Cell, Ranchi	4	1	0	8	5	5	6	4	5	2	7	40	87
41	Deputy C. F. Tribal Development Cell, Jharkhand, Ranchi	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	19	24
42	R.C.C.F., Ranchi	1	0	0	0	0	0	23	0	4	2	2	17	49
43	C.F., Territorial Circle, Ranchi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	R.C.C.F., Bokaro	36	5	3	3	0	0	0	6	1	5	5	23	87
45	C.F., Territorial Circle, Gumla	0	27	0	0	7	4	1	0	5	6	7	18	75
46	D.F.O., Ranchi Forest Division, Ranchi	45	14	5	7	6	10	8	12	12	17	21	45	202
47	D.F.O., Lohardaga Forest Division, Lohardaga	8	5	4	14	6	5	7	5	5	6	7	48	120
48	D.F.O., Gumla Forest Division, Gumla	12	0	0	7	5	5	10	4	5	2	0	41	91
49	D.F.O., Khunti Forest Division, Khunti	33	2	4	3	5	13	2	4	2	2	2	48	120
50	D.F.O. Simdega Forest Division, Simdega	32	1	7	3	11	5	6	6	8	5	7	49	140
51	D.F.O. State Trading Division, Gumla	9	20	0	3	5	16	6	5	8	6	0	47	125
52	Dy.C.F., Planning Non Tribal Area, Ranchi	71	41	10	7	0	3	0	5	5	5	6	32	185

Sl. No.	Name of Division/ Circle	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	Total
53	D.F.O., Social Forestry Division, Simdega	8	12	24	7	5	3	6	5	8	6	9	42	135
54	D.F.O. Social Forestry Division, Ranchi	2	2	3	2	1	3	2	1	3	2	2	31	54
55	R.C.C.F., Hazaribagh	8	0	3	0	4	0	8	4	5	2	0	20	54
56	C.F., Territorial Circle, Hazaribagh	8	0	0	7	0	3	7	0	1	6	5	25	62
57	C.F., Territorial Circle, Bokaro	10	6	0	0	5	5	8	1	1	2	5	27	70
58	Addl. P.C.C.F., Director Extension Forestry , North Chotanagpur, Palamu, Hazaribagh	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	26	33
59	D.F.O. Hazaribagh East Forest Division, Hazaribagh	12	0	3	2	4	2	1	4	3	5	2	40	78
60	D.F.O. Hazaribagh West Forest Division, Hazaribagh	29	0	0	1	5	4	8	7	1	5	9	40	109
61	D.F.O. Chatra South Forest Division, Chatra	1	1	3	3	15	4	8	13	11	6	7	40	112
62	D.F.O. Chatra North Forest Division, Chatra	0	0	0	2	8	4	7	12	8	1	2	40	84
63	D.F.O., Koderma Forest Division, Koderma	15	1	3	0	0	5	1	1	4	2	2	24	58
64	D.F.O., Bokaro Forest Division, Bokaro	31	0	3	14	1	10	6	5	8	5	5	48	136
65	D.F.O., Dhanbad Forest Division, Dhanbad	1	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	32	41
66	D.F.O., Ramgarh Forest Division, Ramgarh	2	0	0	2	5	3	1	4	5	2	2	43	69
67	D.F.O., Hazaribagh West State Trading Division, Hazaribagh	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	19	25
68	DY.C.F.Planning, Tribal Area, Ranchi	71	40	10	7	0	3	0	5	5	5	6	32	184
69	C.C.F.Personal(Non-Gaztted), Jharkhand, Ranchi	39	8	4	7	6	2	2	1	3	5	5	10	92
70	D.F.O., Social Forestry Division, Hazaribagh	2	0	0	2	1	2	1	1	3	2	2	32	48
71	D.F.O., Social Forestry Division, Koderma	0	5	4	0	0	3	2	1	1	0	30	40	86
72	R.C.C.F., Dumka	8	5	0	0	8	3	6	15	8	5	0	24	82
73	C.F., Territorial Circle, Dumka	12	8	5	0	11	2	1	5	3	5	7	16	75
74	C.F., Territorial Circle, Deoghar	3	14	4	2	5	10	20	4	1	5	7	32	107
75	D.F.O., Giridih East Forest Division, Giridih	36	5	0	2	7	31	22	15	11	0	7	51	187
76	D.F.O., Deoghar Forest Division, Deoghar	37	6	4	0	11	3	8	12	2	6	14	45	148
77	D.F.O., Dumka Forest Division, Dumka	23	5	6	7	4	4	7	7	4	8	9	47	131
78	D.F.O., Sahebganj Forest Division, Sahebganj.	33	2	7	0	5	10	6	13	17	9	9	43	154
79	D.F.O., Pakur Forest Division, Pakur,	17	5	0	14	1	2	8	6	5	0	2	43	103
80	D.F.O., Godda Forest Division, Godda,	2	2	0	0	5	5	0	5	5	1	7	42	74
81	D.F.O., Jamtara Forest Division, Jamtara	51	20	4	7	6	5	10	4	5	0	5	43	160
82	D.F.O., Social Forestry Division, Deoghar	3	2	3	0	1	3	1	4	1	2	2	33	55
83	D.F.O., Giridih West Forest Division, Giridih	12	0	3	1	4	2	0	4	5	5	7	49	92
84	D.F.O., Social Forestry Division, Dumka	8	9	17	8	5	13	7	6	8	13	6	42	142
85	R.C.C.F., Palamau, Medninar	2	5	3	3	4	8	6	0	3	6	1	6	47
86	C.F. Territorial Circle, Medninar	2	0	0	1	1	0	2	0	4	0	2	33	45

Sl. No.	Name of Division/ Circle	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	Total
87	C.F. Territorial Circle, Garhwa	36	5	6	14	4	0	2	0	5	5	5	17	99
88	Add.P.C.C.F & Direc., Ext., Forestry, Santhal Pargna, Dumka	2	55	25	11	1	2	7	6	5	8	5	23	150
89	D.F.O., Garhwa North Forest Division, Garhwa	11	5	0	0	4	5	13	0	5	6	1	37	87
90	D.F.O., Garhwa south Forest Division, Garhwa	1	0	0	0	4	2	0	0	3	5	2	46	63
91	D . F . O . , Mednagar Forest Division, Mednagar, Daltonganj	38	7	13	14	14	19	5	19	22	19	9	50	229
92	D.F.O. Latehar Forest Division, Latehar	22	6	5	7	1	5	7	5	5	6	7	30	106
93	D.F.O. State Trading Division-2, Latehar	0	5	0	0	1	10	4	4	3	1	2	25	55
94	C.F., Working Plan Circle, Bokaro	17	5	4	3	8	2	0	5	1	2	5	39	91
95	D.F.O. S.F. Division, Garhwa	1	0	0	0	1	2	7	4	3	5	2	25	50
96	D.F.O. S.F. Division, Latehar	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	23	29
97	R.C.C.F. Singhbhum, Jamshedpur.	2	0	4	0	0	2	2	0	4	1	0	20	35
98	C.F., Territorial Circle, Chaibasa.	4	1	0	3	5	5	1	0	8	6	5	31	69
99	C.F., Territorial Circle, Jamshedpur	8	1	0	3	5	3	2	5	4	6	2	27	66
100	Add. P.C.C.F. & Direc., Ext., Forestry, South Chotanagpur, Ranchi.	12	50	20	0	1	3	1	1	5	5	6	2	106
101	D.F.O. Saranda Forest Division, Chaibasa.	15	5	4	2	1	2	0	0	1	5	2	43	80
102	D.F.O. Kolhan Forest Division, Chaibasa.	5	0	0	3	0	0	2	5	4	5	7	40	71
103	D.F.O. Porhat Forest Division, Chaibasa.	0	1	0	0	0	2	0	0	1	5	5	44	58
104	D.F.O., Saraikela Forest Division, Saraikela	30	5	0	3	0	17	7	5	5	6	9	43	130
105	D.F.O. Chaibasa Forest Division, Chaibasa	3	5	4	7	6	2	6	8	5	6	0	37	89
106	D.F.O. Jamshedpur Forest Division, Jamshedpur	16	2	0	7	6	10	6	6	8	5	5	41	112
107	D.F.O. Saranda State Trading Division, Chaibasa	1	1	6	1	6	5	6	6	5	5	2	37	81
108	D.F.O. State Trading Division Chaibasa-II, Chaibasa	2	1	3	3	1	2	0	4	1	5	2	27	51
109	Add.P.C.C.F., Special Project, Jharkhand, Ranchi	32	1	3	0	5	3	8	1	3	5	15	10	86
110	D.F.O. S.F. Division, Adityapur, Jamshedpur	31	0	6	8	5	24	6	8	8	12	2	35	145
111	D.F.O. S.F. Division, Chaibasa	8	0	14	0	1	5	2	6	1	5	1	35	78
112	C.F. Territorial Circle, Giridih	45	5	0	2	7	12	6	5	5	12	0	37	136
113	C.F. Territorial Circle, Chatra	36	5	0	2	6	13	0	0	0	6	2	25	95
	Total													9758

**एनेक्चर-"(बी) " पारा- 3.10
अनुबंध " ख "**

अधिकतर प्रमण्डलों /अंचलों द्वारा मासिक लेखा में पूर्ण वर्गीकरण अंकित रहता है पर निम्नलिखित प्रमण्डलों / अंचलों द्वारा सही वर्गीकरण (लघु शीर्ष से आगे) अंकित नहीं रहता है जो राज्य बजट (योजना) के अनुरूप नहीं है ।

- 1- वन प्रमण्डल पदाधिकारी सरायकेला वन प्रमण्डल,सरायकेला
- 2- वन प्रमण्डल पदाधिकारी खुँटी वन प्रमण्डल खुँटी ।

अध्याय-6

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के मंडल/ अंचल में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के दौरान केन्द्रीय एवं स्थानीय लेखापरीक्षा के द्वारा पाये गए अनियमितताएं ।

धारा - क, भाग- 2 के अंतर्गत जारी कंडिकाओ की सूची ।

क्र० सं०	प्रखंड/सर्किल का नाम	नि०प्र०सं०	कंडिका की सं०	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	राशि
1.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान, वन मंडल, चाईबासा	08/13-14	शून्य	शून्य	-
2.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य जीव मंडल, राँची	26/ 13-14	1	सी०ए० एवं पी०सी०ए० के कम मांग रु० 92.27 लाख	92.27
			1 (II)	सी०ए०टी० योजना के लिए मांग नहीं करना	--
3.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर) मंडल, खूंटी 28/13-14	28/13-14		शून्य	--
4.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी मंडल, खूंटी	32/13-14	1	रु० 37.04 लाख का निफल व्यय	37.04
			1(बी)	रु० 4.55 लाख का निफल व्यय	4.55
5.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिमी मंडल	43/13-14	1 ए(1)	एन०पी०वी० एवं सी०ए० के कारण मांग रु० 314.90 लाख	314.90
			1 ए(2)	दंड की गैर लेवी प्रतिपूर्ति वन रोपण रु० 23.88 लाख	23.88
			1 बी1	एन० पी०वी०, सी०ए० एवं अन्य राजस्व का अनुपयोग रु० 1297.17 लाख	129.17
			1 बी(2)	सी०ए० के लिए कम मांग रु० 299.76 लाख	299.76
			1 सी	सी०ए० के लिए कम मांग रु० 229.76 लाख	299.76
			2 ए	निफल व्यय रु० 55.91 लाख	55.91
			2 बी	रु० 26.50 लाख	26.50
			3	वनरोपण स्थानों के क्षेत्रीय मंडलों को स्थानांतरण में विलम्ब के कारण राजस्व क्षति रु० 20.152 लाख	20.15
6.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग, पूर्वी क्षेत्र	48/13-14	1	बौनी प्रजातियों के रोपण के राशि के लिए मांग नहीं करना (ओषधीय पौधे) रु० 87.39 लाख	87.39
			2 ए	सी०ए० का कम मांग रु० 4.71 लाख	4.71
			2 बी	पी०सी०ए० का अनारोपन रु० 35.78 लाख	35.78

क्र० सं०	प्रखंड/सर्किल का नाम	नि०प्र०सं०	कंडिका की सं०	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	राशि
7.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग, वन्य जीव मंडल	52/13-14	1	निधियां का जमाव ₹ 32.67 लाख	32.67
			2	सरकारी राजस्व का जमाव ₹ 14.59 लाख	14.59
			3	सौर लालटेन/सौर सड़क प्रकाश की आपूर्ति/अनधिठापन ₹ 13.40 लाख का दुरुस्मयोग	13.40
8.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन मंडल, बोकारो	56/ 13-14	1	दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपन के लिए मांग नहीं करना ₹ 136.28 लाख	136.28
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन मंडल, रामगढ़	61/13-14	1	कोयले का निपटारा नहीं किए जाने के राजस्व का अवरोध ₹ 116.90 लाख	116.90
			2	सी०पी० एवं एन० पी०वी० के दाम बढ़ाने/ अनुपयोग के लिए 44.63	44.63
			3	प्रतिपूरक वन-रोपन के व्यय का अनुपयोग / नहीं बढ़ाना ₹ 20.43 लाख	20.43
10	वन प्रमंडल पदा०, गढ़वा वन मंडल, गढ़वा	65/13-14		शुन्य	
11.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन मंडल जमशेदपुर	67/13-14	1 (ए)	पी०वी० के कम मांग के कारण सरकार को हानि ₹ 196.21 लाख	196.21
			1 (बी)	पी०वी० के कम मांग के कारण सरकार को हानि ₹ 8.67 लाख	8.67
12.	वन प्रमंडल पदा०, राँची वन मंडल, राँची	72/13-14		शुन्य	--
13.	वन प्रमंडल पदा०, गुमला वन मंडल, गुमला	74/13-14		शुन्य	--
14	सी०पी०एफ० एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू बाघ परियोजना डाल्टेनगंज	79/13-14		शुन्य	--
15.	वन प्रमंडल पदा०, कोर क्षेत्र बाघ परियोजना डाल्टेनगंज, पलामू	80/13-14		शुन्य	--
16.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनी नगर, वन मंडल, मेदिनीनगर	82/13-14	1.	₹ 13.71 लाख का अपव्यय	132.71
			(ए)	₹ 47.11 लाख का अपव्यय	
			(बी)	₹ 14,96 लाख का अपव्यय	
			(सी)	₹ 70.64 लाख का अपव्यय	
17.	वन प्रमंडल पदा०, सिमडेगा वन मंडल, सिमडेगा	88/13-14		शुन्य	
18.	वन प्रमंडल पदा०, गिरिडीह, पूर्व वन मंडल गिरिडीह	91/13-14		क्षेत्रीय मंडल को वनरोपन स्थानों के स्थानांतरण में हुए विलम्ब के कारण अफलदायी व्यय ₹ 148.97 लाख	148.97

क्र० सं०	प्रखंड/सर्किल का नाम	नि०प्र०सं०	कंडिका की सं०	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	राशि
19.	वन प्रमंडल पदा०, धनबाद, वन मंडल, धनबाद	102/13-14	1	पौधरोपण के लिए खाली स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण संदेहास्पद व्यय रू० 10.06 लाख	10.06
			2	पौधरोपण के लिए खाली स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण संदेहास्पद व्यय रू० 7.00 लाख	7.00
20.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका, वन मंडल, दुमका	110/13-14	1	सिन्धु कानू पार्क पर बेकार व्यय रू० 243.403 लाख	243.40
			2 (ए)	दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण के लिए मांग नहीं करना रू० 104.33	104.33
			(बी)	पट्टेदार पौधे रोपण के लिए मांग नहीं करना रू० 579.28 लाख	579.28
			3(ए)	स्थायी पौधशाला के स्थापना पर व्यय रू० 69.21 लाख	69.21
			(बी)	पौधों के मूल्य का प्रेषण नहीं किया जाना रू० 2.42 लाख	2.42
			4(ए)	कैम्पा के अंतर्गत खाली की अनुपलब्धता के कारण संदेहपूर्ण व्यय रू० 34.50 लाख	34.50
			(बी)	झारखण्ड कैम्पा के अंतर्गत योजना के संदेहपूर्ण व्यय रू० 21.13 लाख	21.13
			5 (ए)	कतारबद्ध पौधरोपण के लिए कम मांग रू० 17.14 लाख	17.14
			(बी)	कतारबद्ध पौधरोपण के लिए कम मांग रू० 13.43 लाख	13.43
21	वन प्रमंडल पदा०, चाईबासा वन मंडल, चाईबासा	114/13-14	1	सी०ए० के लिए कम मांग रू० 81.79 लाख	81.79
			2	मांग नहीं किया जाना	-
			(ए)	वन्य जीव संरक्षण एवं विकास के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा रू० 23.56 लाख का मांग नहीं किया जाना	23.56
			(बी)	सी०ए०टी० योजना के लिए मांग नहीं किया जाना	--
22.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, क्षेत्र बाघ परियोजना, डाल्टनगंज, पलामू	117/13-14	--	शुन्य	--
23	ए०पी०सी०एफ० एच० आर० डी० झारखंड, राँची	102 क/13-14	-	शुन्य	--
24	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तर वन मंडल, चतरा	119/13-14	--	सी०ए० के लिए कम मांग/मांग का अनुपयोग	20.39